भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *131

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना ह

.....

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए धनराशि

***131. श्री इटेला राजेंदर:**

श्रीमती डी.के. अरुणाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु तथा विभिन्न जिलों में जल निकायों के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना - निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार(आरआरआर) के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में धनराशि संस्वीकृत और संवितरित की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना और अन्य पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत विगत दस वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उपयोग की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए धनराशि' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *131 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख):भारत सरकार द्वारा जनवरी 2005 (10वीं योजना) में "जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार" शीर्षक से एक पायलट योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सीधे कृषि से जुड़े हुए जल निकायों की बहाली किया जाना था। इस पायलट योजना का मुख्य उद्देश्य जल निकायों की भंडारण क्षमताओं को बहाल करना,विस्तारित करना और उनकी समाप्त सिंचाई क्षमता की बहाली और उसे बढ़ाया जाना था।

इस पायलट योजना की सफलता के बाद, 11वींयोजना (2007-12) के दौरान दो मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धारयोजनाएँ एक घरेलू सहायता के साथ और एक बाह्य सहायता के साथ शुरू की गई। इस बाह्य सहायता प्राप्त योजना को आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा सितंबर, 2013 को 11वींयोजना (वर्ष 2012-17) के दौरान, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार जारी रखने का अनुमोदन दिया गया था। हालांकि, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में, चल रही कई पहलों को एक साथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को स्वीकृति दी गईथी, जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (सरफेस माइनर इरीगेशन), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर), एकीकृत वाटरशेडप्रबंधन कार्यक्रम (इंटीग्रेटिड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम) और खेतों में जल प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म सिंचाई घटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का प्राथमिक उद्देश्य खेतों तक जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषियोग्य क्षेत्रों का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लानाऔर सतत जल संरक्षण प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के मुख्य घटकों में से एक घटक हर खेत को पानी है। वर्ष 2016-2021 के दौरानसतही लघु सिंचाई और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) योजनाओं को 3550 करोड़ रुपए के परिव्यय से पीएमकेएसवाई-एचकेकेपीमें मिलाते हुएकार्यान्वयन में शामिल किया गया था। चल रही सतही लघु सिंचाई (सरफेस माइनर इरीगेशन) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धारयोजनाएं, जिन्हें 11वींऔर 12वींयोजनाओं के दौरान, जिन पर केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु विचार किया गया था, उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) -हर खेत को पानी के अंतर्गत भी जारी रखा गया था।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-2026 की अवधि में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - हर खेत को पानी को जारी रखने को भी मंजूरी दी है। सतही लघु सिंचाई और जल निकायों के आरआरआर योजनाओं को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत 4580 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों को पिछले दस वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत जल निकायों की आरआरआर के लिए प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए धनराशि' के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *131 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल निकाय योजनाओं के आरआरआर योजनाओं के लिए जारी केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार विवरण

(करोड़ रू.)

वित्त वर्ष राज्य	**वित्त वर्ष 2014-15**	**वित्त वर्ष 2015-16**	**वित्त वर्ष 2016-17**	**वित्त वर्ष 2017-18**	**वित्त वर्ष 2018-19**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
आंध्र प्रदेश					2.70						
तमिल नाडु		9.22			7.03	16.75	1.25	17.43	27.70	49.60	5.26
तेलंगाना		44.88		59.68							
कुल		**54.10**		**59.68**	**9.73**	**16.75**	**1.25**	**17.43**	**27.70**	**49.60**	**5.26**

*****